साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 11-17 अप्रैल 2022, वर्ष-8, अंक-2

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

नया अध्यादेश: दो अधिनियमों की धारा 358 और 254 बदलेगी मध्यप्रदेश सरकार

सड़क पर अब पशु घूमते मिले तो पांच हजार जुर्माना

» चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद हरकत में आई सरकार

» विधि विभाग ने दी मंजूरी, अब राज्यपाल के पास जाएगा प्रस्ताव

» प्रदेश में आवारा गौवंश की संख्या 8 लाख 54 हजार के करीब

भोपाल। विशेष संवाददाता

सड़क के बीच पशु दिखने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी ने नगर निगम और नगरपालिका के 60 साल से भी ज्यादा पुराने कानून में बदलाव करवा दिया। अब इस संशोधित एक्ट को राज्य सरकार आनन-फानन में अध्यादेश से लागू करने जा रही है। नए अध्यादेश में प्रावधान किया जा रहा है कि यदि सड़क पर पशु मिले तो मालिक को 100 गुना यानी पांच हजार रुपए तक जुर्माना भरना होगा। पहले यह सिर्फ 50 रुपए तक था। विधि विभाग ने नगरीय विकास विभाग के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अब इसे राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेजा जाएगा।

जिन दो अधिनियम में बदलाव हो रहा है, उसमें नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 358 और नगरपालिका अधिनियम 1961 की 254 शामिल हैं। वहीं विभागीय सूत्रों का कहना है कि चूंकि एक्ट संशोधित हो रहा है। इसे बजट सत्र में लाने की तैयारी थी, लेकिन वह समय से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थागित हो गया। इसलिए अध्यादेश से संशोधित कानून लागू करेंगे।

टिप्पणी के बाद जागी सरकार

अक्टूबर 2021 में चीफ जस्टिस भोपाल से जबलपुर जा रहे थे। तभी उन्हें सड़क पर पशु मिले थे। जबलपुर पहुंचकर उन्होंने टिप्पणी की कि सड़कों पर पशु रहना गंभीर समस्या है। कितने दिनों से यह दिक्कत है, यह ठीक नहीं है। जल्द ही समस्या का स्थाई समाधान होना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद राज्य सरकार हरकत में आई। उच्च स्तर पर बैठक के बाद एक्ट को संशोधित करने पर सहमति बनी।

विचाराधीन थीं तीन याचिकाएं

इससे पहले स्ट्रीट डॉग्स और आवारा मवेशियों को लेकर तीन याचिकाएं हाईकोर्ट में थीं। सतीश कुमार वर्मा ने स्ट्रीट डॉग को लेकर 2006-07 में याचिका लगाई थी। बृजेंद्र लक्ष्मी यादव ने (25056/19) 2014-15 के समय और फिर पूनम शर्मा ने पिटीशन (25829/18) में अपनी पिटीशन में आवारा मवेशी की बात रखी। अंततः सुनवाई हुई और राज्य सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा।

मप्र में 8.53 लाख गौवंश आवारा घूम रहे

मप्र में आवारा गौवंश की संख्या 8 लाख 53 हजार 971 है। आवारा कुत्तों की संख्या 10 लाख 9 हजार 76 है। पालतू पशुओं की संख्या 4.06 करोड़ है। पालतू कुत्तों की संख्या 3 लाख 3 हजार 567 है।

प्रदेश में कितने पशु

गौवंश	1,87,50,828
भैंस	1,03,07,131
भेड़-भेड़ी	3,24,585
बकरा-बकरी	1,10,64,524
घोड़ा-घोड़ी	13,260
खच्चर	2,543
गधा	8,135

नोट-2019 में हुई 20वीं पशु गणना

सहकारिता विभाग ने अधिकतम दो फीसदी की सीमा की तय

अब किसानों से मनमाने दंड ब्याज की नहीं होगी वसूली

अभी दो से लेकर चार फीसदी तक लगाया जा रहा था दंड ब्याज

भोपाल। प्रशासनिक संवाददाता

समय पर अल्पावधि फसल ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों से सहकारी समितियां अब मनमाना दंड ब्याज नहीं वसूल सकेंगी। सहकारिता विभाग ने तय कर दिया है कि किसी भी सूरत में दंड ब्याज दो प्रतिशत से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। अभी समितियां चार प्रतिशत तक दंड ब्याज लगा रही हैं। इससे किसानों के ऊपर ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को राशि भी नहीं मिल रही है। अब मप्र सरकार किसान के ऊपर से ब्याज के भार को उतारने के लिए एकमुश्त समझौता योजना ला रही है। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से सरकार किसानों को ब्याज रहित खरीफ और रबी फसलों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। खरीफ फसलों के लिए 28 मार्च और रबी फसल के अल्पावधि ऋण को 15 जून तक चुकाना होता है, जो किसान इस अवधि में ऋण नहीं चुकाते हैं, उनसे समितियां आधार दर के साथ दंड ब्याज वसूलती हैं। वित्त विभाग ने ब्याज रहित ऋण देने में बैंक को जो लागत आती है, उस आधार दर को दस प्रतिशत तय किया है। दरअसल, अपेक्स बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड से ऋण लेकर और अपनी पूंजी से जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को राशि उपलब्ध कराता है। यह राशि समितियां किसानों को देती हैं और समय पर अदायगी से फिर ऋण मिल जाता है। यह चक्र चलता रहता है, लेकिन डिफाल्टर किसान को यह सुविधा नहीं मिलती है। उसे आधार दर के साथ-साथ दंड ब्याज भी देना होता है।

अनियमितता की शिकायत

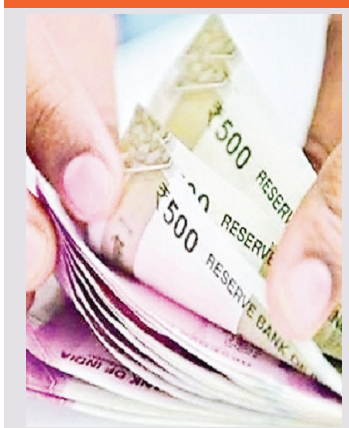

समितियां दो से लेकर चार प्रतिशत तक दंड ब्याज ले रही हैं। इसको लेकर अनियमितता की शिकायतें भी मिलती हैं। पिछले दिनों समितियों के कर्मचारियों ने जब हड़ताल की तो यह बात भी सामने आई कि समितियों का कारोबार आर्थिक स्थिति ज्यादा दंड ब्याज लगाने की वजह से भी प्रभावित हो रहा है।

डिफाल्टर किसानों को मिलेगी ब्याज माफी

उधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समय पर ऋण चुकाने की वजह से डिफाल्टर हुए किसानों को ब्याज माफी देने की घोषणा की है। इसका फायदा लगभग 15 लाख किसानों को मिलेगा। इनके ऊपर पांच हजार करोड़ रुपए से अधिक का ऋण का है। इसके लिए विभाग एकमुश्त समझौता योजना तैयार कर रहा है।

प्रदेश में सहकारी संस्थाएं

» प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितिया- चार हजार 548

» जिला सहकारी केंद्रीय बैंक- 38

» राज्य शीर्ष बैंक (अपेक्स)- एक

» प्रतिवर्ष ऋण लेने वाले किसान- लगभग 25 लाख

सहकारी अधिनियम में सहकारी संस्थाओं को दंड ब्याज लगाने का अधिकार है। विभाग ने तय कर दिया है कि अब ये दो प्रतिशत से अधिक दंड ब्याज वसूल नहीं कर सकेंगी। इसी तरह जिला बैंक को यदि समिति समय पर ऋण नहीं चुकाती है तो उस पर दो की जगह एक प्रतिशत दंड ब्याज लगेगा और यह वार्षिक होगा।

अरविंद सिंह सेंगर, संयुक्त पंजीयक, सहकारिता विभाग

-तालाब के गहरीकरण के साथ खेतों की सुधरेगी सेहत

तालाबों को बचाने किसानों को मुफ्त दी जाएगी गाद

भोपाल। संवाददाता

मध्य प्रदेश में तालाबों के संरक्षण के लिए किसानों को मुफ्त गाद दी जाएगी। इससे तालाब का गहरीकरण हो जाएगा और गाद के उपयोग से खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। अभी गाद के लिए पचास रुपए प्रति घन मीटर शुल्क देना पड़ता है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर खनिज साधन विभाग ने नियम में संशोधन पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अंतिम निर्णय के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। इसका प्रारूप भी तैयार हो गया है। मध्य प्रदेश में 11 अप्रैल से वर्षा जल के संरक्षण और भूजल संवर्धन के लिए जल अभिषेक अभियान चलाया जाएगा। इसमें तालाबों के गहरीकरण सहित अन्य कार्य किए जाने हैं।

खनिज साधन विभाग को कोई आपत्ति नहीं

खनिज विभाग किसानों को निःशुल्क गाद देने के प्रस्ताव से सहमत है। दरअसल, गाद की रायल्टी लेना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है। खेत से लगे तालाब की गाद किसान बिना अनुमति निकल लेते हैं क्योंकि इसकी निगरानी का कोई तंत्र नहीं है। पंचायतों में शिकायतें न के बराबर ही पहुंचती हैं। इसे देखते हुए यह विचार किया गया कि तालाबों से निकलने वाली गाद के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार पंचायतों को ही दे दिया जाए।

तालाब और खेत के लिए गाद लाभदायक

पूर्व कृषि संचालक डॉ.जीएस कौशल का कहना है कि तालाब की गाद यदि किसान को निःशुल्क दी जाती है तो यह बेहद फायदेमंद रहेगा। तालाब की गाद निकलने से जल संग्रहण की क्षमता बढ़ेगी और भूजल स्तर में सुधार होगा। वहीं, खेतों में इसके उपयोग से उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, जिसका लाभ उत्पादन में मिलेगा।

अभी तालाब से जो गाद निकलती है, उसे किसान को लेने के लिए खनिज विभाग से अनुमति लेनी होती है। इसके लिए उसे जिला कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि इसका अधिकार पंचायतों को होना चाहिए। इससे लाभ यह होगा कि पंचायत आवेदन लेकर किसान को तालाब के गहरीकरण का काम दे देगी और वह गाद निकालकर कृषि उपयोग के लिए ले जाएगा।

उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

खनिज विभाग किसानों को निःशुल्क गाद देने के प्रस्ताव से सहमत है। तालाबों के गहरीकरण और गाद के उपयोग संबंधी व्यावहारिक पक्ष को देखते हुए आपत्ति नहीं है। अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर होगा।

सुखबीर सिंह, प्रमुख सचिव, खनिज विभाग

आज मप्र देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य बन गया है। इस साल प्रदेश में करीब 14 लाख मीट्रिक टन गेहूं की उपज होने की संभावना है। एमपी का गेहूं विदेशों में एक्सपोर्ट होगा। एमपी का एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी शुल्क भी नहीं लगेगा। एपीडा के भोपाल स्थित कार्यालय में एक्सपोर्ट सेल बनाया जाएगा। दरअसल, मप्र के किसानों की मानों तकदीर खुल गई है। इस बार गेहूं की जबर्दस्त पैदावार हुई है। खासतौर पर नर्मदापुरम संभाग में गेहूं की बंपर पैदावार होने का अनुमान है। किसानों और कृषि अधिकारियों के अनुसार इस बार औसतन 52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होने की संभावना है।

मध्यप्रदेश की ताकत बनेगा गेहूं

इस बार भी सरकार की कृषि नीतियों और प्रदेश के किसानों की मेहनत के बल पर बंपर फसल आ रही है। मप्र के गेहूं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। मप्र के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। एमपी व्हीट के नाम से इसकी पूरे देश में साख है। कई कंपनियां आटा बनाकर बेचती हैं तो उसे भी एमपी व्हीट के नाम से बेचा जाता है। हमारे पास गेहूं के भंडार भरे पड़े हैं। अगली फसल भी जबरदस्त आ रही है। बम्पर फसल की वजह से गेहूं हमारे लिए समस्या बन जाता था। पर अब गेहूं मध्य प्रदेश की ताकत होगा।

किसान होंगे मालामाल: मध्यप्रदेश का गेहूं पूरी दुनिया में होगा एक्सपोर्ट

गेहूं उत्पादक किसानों को करीब 2800 करोड़ रुपए के लाभ का अनुमान

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिल्ली में देश के बड़े गेंहू एक्सपोर्टर्स से भेंट की

मप्र को मिलेगा आठवां कृषि कर्मण अवार्ड!

अरविंद मिश्र। भोपाल

गेहूं के किसानों को इस बार करीब 2800 करोड़ रुपए का लाभ होने का अनुमान है। किसानों के लिए गेहूं के निर्यात के दरवाजे भी खुले हैं जिसके कारण मुनाफा ज्यादा होने की पूरी संभावना है। वहीं प्रदेश को आठवीं बार कृषि कर्मण अवार्ड की संभावना बढ़ गई है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सबसे अधिक फोकस खेती-किसानी पर है। इसलिए प्रदेश में साल दर साल अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है और किसान खुशहाल हो रहे हैं। गेहूं के निर्यात के कारण ही इस बार समर्थन मूल्य से कम से कम 200 रुपए ज्यादा के दाम में गेहूं बिक रहा है। कुछ किसानों को तो 2500 रुपए प्रति क्विंटल तक के दाम मिले हैं। गेहूं के दाम और किसानों का मुनाफा और ज्यादा होने की संभावना है। प्रदेश में गेहूं की पैदावार कुल 14 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान, इससे किसानों को 2800 करोड़ का लाभ-कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार शुरुआती तौर पर बैतूल में जहां 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन का अनुमान है। वहीं हरदा में करीब 48 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं के उत्पादन का अनुमान है। नर्मदापुरम में इस बार 2.71 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की बोवनी की गई थी। किसानों के अनुसार प्रति हेक्टेयर 52 क्विंटल पैदावार होने की उम्मीद है। इस बार गेहूं की पैदावार कुल 14 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इससे किसानों को 2800 करोड़ का लाभ हो सकता है। सरकारी अनुमान के अनुसार इस बार प्रदेश में लगभग 14 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जिससे किसानों को करीब 2800 करोड़ रुपए का लाभ होने की उम्मीद है।

एमएसपी के ऊपर बिक रहा गेहूं

ग्लोबल मार्केट में गेहूं की भारी मांग के चलते गेहूं एमएसपी से ऊपर पहुंच गया है। रतलाम मंडी में एक किसान को 3000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिला। देश में नई फसल 15 मार्च के बाद से आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार ज्यादातर राज्यों में गेहूं की फसल मौसमी कारणों से लेट है, क्योंकि बुवाई के सीजन से पहले अक्टूबर में कई राज्यों में बारिश हो गई थी। देश में सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद विश्व बाजार में भारत के गेहूं की मांग बढ़ गई है, जिसके चलते देश की कई मंडियों में गेहूं एमएसपी से 200 से 500 रुपए ऊपर बिक रहा है।

अब गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा

प्रदेश में गेहूं के बम्पर उत्पादन को देखते हुए राज्य सरकार ने एक्सपोर्ट करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी कड़ी में एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं पर मंडी टैक्स नहीं लेने और एक्सपोर्टर्स को ग्रेडिंग व सॉर्टिंग पर होने वाले खर्च का भुगतान करने का फैसला लिया है। प्रदेश में एक लाइसेंस पर कोई भी कंपनी या व्यापारी कहीं से भी गेहूं खरीद सकेगा। वह चाहे मंडी से खरीदे या मंडी के बाहर से। वह किसान के घर या खेत से भी खरीदारी कर सकती है। मंडी में बिकने वाले गेहूं की वैरायटी और ग्रेड का भी उल्लेख होता है। मंडी में नीलामी की प्रक्रिया और ऑनलाइन अनुज्ञा का लाभ एक्सपोर्टर स्वयं या अपने किसी स्थानीय व्यापारी के पंजीयन से ले सकते हैं।

पोर्ट पर मिलेगी गेहूं रखने की जगह

फसल के वैल्यू एडिशन और क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए प्रमुख मंडियों में इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब उपलब्ध कराई जाएगी। प्रमुख मंडियों में एक्सपोर्टर को अधोसंरचना के लिए जमीन की आवश्यकता होने पर रियायती दरों पर जमीन देंगे। प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदने पर ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करनी पड़ी तो उसके खर्च का भुगतान भी एक्सपोर्टर्स को किया जाएगा। निर्धारित किस्म, ग्रेड और गुणवत्ता वाली फसल के भंडारण और प्रमाणीकरण के लिए पेशेवर और प्रतिष्ठित एजेंसियों से अनुबंध कर निर्यात के लिए अस्थायी व्यवस्था भी बनाई जाएगी। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक के दौरान रैक की कमी नहीं होने देने का आश्वासन दिया है। साथ ही पोर्ट पर भी गेहूं रखने की जगह मिलेगी।

नान के पास 37 लाख टन गेहूं

मप्र नागरिक आपूर्ति निगम के पास पिछले सालों में खरीदा गया 37 लाख टन गेहूं गोदामों में रखा है। जिसमें से 2 लाख टन गेहूं बेचने की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 5 लाख टन गेहूं को बेचने के टेंडर हो चुके हैं। जबकि 30 लाख टन गेहूं को बेचने की जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। नान को गेहूं की कीमत 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक मिली है, जो कि अब तक की सबसे बेहतर कीमत है। नान के पास वह गेहूं बचा है, जो चमक विहीन है और उसे पिछले दो साल से भारतीय खाद्य निगम ने नहीं उठाया। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वैश्विक मांग को देखते हुए मप्र के गेहूं को ग्लोवल पहचान मिले। इस बार मप्र सरकार ने 140 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन की तैयारी की है। हालांकि बाजार में किसानों को समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव मिल रहे हैं।

सरकार ने खोला खजाना

विगत दो साल में किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं से किसानों के खातों में एक लाख बहत्तर हजार करोड़ रुपए से अधिक अंतरित किए जा चुके हैं। फसल बीमा योजना में शामिल किसानों की संख्या साल 2002 की स्थिति में 15.23 लाख थी जो आज बढ़कर 65 लाख से अधिक हो गई है। इस साल 12 फरवरी को बैतूल के किसान महासम्मेलन में 49 लाख 85 किसानों के खातों में 7 हजार 618 करोड़ की फसल बीमा राशि सिंगल क्लिक से भेजी गई थी,आज तक पूरे देश में इतनी बड़ी राशि फसल बीमा के रूप में किसानों को एक साथ कभी नहीं दी गई। यह एक रिकॉर्ड है। इसके साथ सरकार संकट के समय किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है।

प्रदेश में गेहूं की 14 लाख मीट्रिक टन से अधिक पैदावार की अनुमानित

किसानों का सपना साकार

गौरतलब है कि प्रदेश में किसानों की खुशहाली दिन पर दिन बढ़ रही है। विगत 2 वर्ष में फसल उपार्जन, फसल बीमा, फसल हानि राहत, बिजली सब्सिडी आदि किसानों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के खातों में 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश खुशहाल अन्नदाता के सपनों को भी बखूबी साकार कर रहा है।

गेहूं की कई देशों में बढ़ी मांग

भारत के गेहूं की विश्व के कई देशों में मांग बढ़ी है। भारत में खरीद वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। लेकिन पिछले करीब एक पखवाड़े से गेहूं की कीमतें लगातार ऊपर बनी हुई हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब से करीब 4800 किमी दूर मप्र की मंदसौर मंडी में पिछले 10 दिनों से गेहूं 2200 रुपए के ऊपर बिक रहा है। ग्लोबल मार्केट में भारतीय गेहूं की का रेट 300-310 डॉलर प्रति टन था जो 15 दिन में बढ़कर 360 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गया है। अगर यही हालात रहे तो अगले कुछ दिनों में ये 400 डॉलर प्रति टन पहुंच जाएगा यानि भारतीय रुपए में 2800 रुपए प्रति क्विंटल। ये किसान और भारत दोनों के लिए अच्छा है।

शरबती ने तोड़ा 54 साल का रिकॉर्ड

विश्व भर में गेहूं की मांग का असर यह रहा कि सीहोर जिले के आष्टा कृषि उपज मंडी के 54 साल के इतिहास में पहली बार शरबती गेहूं 5675 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका है। इछावर तहसील के दिवड़िया निवासी किसान देवकरण सिंह इस उपज को मंडी में बेचने के लिए आया था। गेहूं की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से इसे खरीदने के लिए व्यापारियों में एक अलग उत्साह देखने को मिला। देवकरण सिंह के शरबती गेहूं की उपज को श्रीनाथ ट्रेडर्स ने खरीदा है। आष्टा मंडी सचिव राजेश साकेत ने बताया कि आष्टा मंडी की स्थापना साल 1968 में हुई थी, तब से अब तक इतने ज्यादा भाव में आज तक शरबती गेहूं नहीं बिका है। पांच हजार के आसपास जरूर शरबती गेहूं बिका है।

गेहूं का एक-एक दाना खरीदेगी सरकार

प्रदेश में गेहूं के बंपर उत्पादन की संभावना के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों द्वारा उत्पादित गहूं का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने धान का विक्रय तेजी से करने और धान की मिलिंग के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गेहूं खरीदी के लिए व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहे। भंडारण के लिए गोदामों की व्यवस्था कर ली जाए। गेहूं के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी पंजीयन 2022-23 के नवीन प्रावधानों को ध्यान में रखकर गेहूं का उपार्जन करें। प्रदेश के गेहूं की अपनी अलग पहचान है। गेहूं उपार्जन केन्द्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन से पंजीयन की व्यवस्था है।

कृषि हमारी प्राथमिकता है। अनाज उत्पादन में हमने अग्रणी राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित हो रही हैं। जीरो पर्सेंट ब्याज पर किसानों को ऋण के लिए विगत दो वर्षों में एक लाख 72 हजार करोड़ रुपए किसानों के खाते में डालने का चमत्कार हमारी सरकार ने किया। पांच हॉर्स पावर के पंप पर सरकार 48 हजार रुपए हर साल सब्सिडी देती है। हमने तय किया है कि मप्र के किसानों का एक-एक दाना खरीदेंगे। समय पर किसानों का भुगतान होगा।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

कृषि मंत्री बोले

किसानों ने रच स्वर्णिम इतिहास

कृषि मंत्री कमल पटेल कहते हैं कि ग्रामीण और कृषि अर्थ-व्यवस्था की मजबूत पहचान के साथ आगे बढ़ते मप्र में अन्नदाताओं की आय दोगुनी करने का पीएम और सीएम का संकल्प पूरा कर स्वर्णिम इतिहास रच दिया गया है। किसानों की खुशहाली के लिए अभूतपूर्व कार्य और इंतजाम किए गए हैं। कृषि विभाग के अंतर्गत किसानों से संबंधित केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के साथ राज्य की योजनाएं जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू होने से अन्नदाताओं में हर्ष है। केंद्रीय योजनाएं जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परम्परागत कृषि विकास योजना, स्वाईल हेल्थ कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सबमिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री, समर्थन मूल्य में फसल का उपार्जन का लाभ हमारे किसानों को भरपूर मिल रहा है। यही कारण है तिलहन, दलहन और धान की उपज और बिक्री में मध्यप्रदेश ने उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की है।

गेहूं खरीदने आईटीसी सहित कई कंपनियों ने दिखाई रुचि

खुले बाजार में बिकेगा मप्र का गेहूं

प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी है। वहीं अब साढ़े सात लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सरकार ने निविदा जारी कर दी है। ये गेहूं पिछले वर्ष का है। सरकार ने किसानों को साधने 37 लाख मीट्रिक टन गेहूं तय गुणवत्ता के मानदंडों से नीचे खरीदा था। इसमें से साढ़े सात लाख मीट्रिक टन गेंहू बेचा जा चुका है। इसके चलते केन्द्र ने इसे लेने से मना कर दिया था। अब सरकार गेहूं को खुले बाजार में बेचने की तैयारी कर रही है।

गेहूं खरीदने आईटीसी सहित कई बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। सरकार का मानना है कि केंद्र ने जो गेहूं लेने से मना कर दिया है, उसे बाजार में अच्छी कीमतों पर बेचा जा सकता है। वजह यह है कि यूक्रेन और रूस सबसे ज्यादा गेहूं का निर्यात करते हैं। दोनों देशों में इस वर्ष गेहूं का उत्पादन नहीं हुआ है। खुले बाजार में गेहूं की कीमत ज्यादा होने से समर्थन मूल्य पर खरीदी कम हो रही है। पिछले वर्ष 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। इस वर्ष अभी तक 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं प्रदेश में खरीदा गया है। सरकार 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी का अनुमान लगा रही थी। अब इससे आधे का ही अनुमान है।

30 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचने जारी किया गया टेंडर

इन जिलों में खरीदी

भोपाल, नर्मदापुरम (होशंगाबाद), जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग में 4 अप्रैल से 16 मई तक खरीदी होगी। इनमें भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिण्ड और श्योपुर जिले शामिल हैं।

12 समितियां कर रहीं खरीदी

भोपाल में 77 सेंटरों पर गेहूं खरीदी हो रही है। इनमें 65 गोदामों में सीधे गेहूं खरीदा जा रहा। वहीं, 12 समितियां खरीदी कर रही हैं। स्टील सायलो मुगालिया कोट में भी खरीदी की जाएगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी सेंटरों पर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे रखने और दिन में 2 हजार क्विंटल तक गेहूं खरीदने के निर्देश दिए हैं।

निर्यात में बढ़ी प्रतिस्पर्धा

गेहूं की आसमान छूती कीमतों ने निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। भारत में मप्र, गुजरात, राजस्थान और उप्र जैसे राज्यों से गेहूं से कांडला बंदरगाह के पास गोदामों में भरा जा रहा है। जहां 2500 के आसपास का रेट है, जबकि 15 दिन पहले ये रेट 2100 रुपए क्विंटल के आसपास था। गेहूं किसानों के नजरिए से ये अच्छी बात है, गेहूं एमएसपी के ऊपर बिक रहा है। किसानों को चाहिए वो गेहूं रोके नहीं, निकाल दें। इसका फायदा उन्हें ज्यादा मिलेगा, जिनकी फसल अगेती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इससे महंगाई तेजी से बढ़ेगी।

पियोगे मट्ठा तो बनोगे पट्ठा

डॉ. सतेंद्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, शिवपुरी

पोषण की दृष्टि से दूध को एक संतुलित आहार माना गया है। दूध में मानव स्वास्थ्य के लिए सभी पोषक तत्व एवं विटामिंस होते हैं। दूध में प्रोटीन, लेक्टोज, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स व पानी पाया जाता है। इसके बाद भी कुछ लोगों को दूध से एलर्जी, लेक्टोज इनटोलरेंस, वसा की मात्रा ज्यादा होने जैसी समस्याएं होती हैं, लेकिन दूध को किण्वन करके दही बनाने के बाद इसे मथकर मक्खन निकालने के बाद मिलने वाला छाछ अथवा मट्ठा से यह समस्याएं लोगों को नहीं होती हैं। छाछ में वह सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जोकि दूध में पाए जाते हैं। छाछ से सिर्फ वसा यानी चिकनाई निकलती है जिससे यह स्वास्थ्य के लिए और उपयोगी हो जाता है।

दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया छाछ में होते हैं, जोकि प्रोबायोटिक्स का काम करते हैं। आज स्वदेशी प्रोबायोटिक्स छाछ के प्रति जागरूकता लाने की जरूरत है। ब्रज में एक पुरानी कहावत भी है कि पियोगे मठ्ठा तो बनोगे पठ्ठा। दुनिया के साथ भारत में भी धीरे-धीरे ही सही, लेकिन प्रोबायोटिक्स उत्पादों का बाजार तेजी से पैर पसार रहा है। प्रोबायोटिक्स के फायदों को लेकर आम लोगों में जागरूकता लाने का काम देश में कई देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा शुरू किया जा चुका है। इन कंपनियों का प्रमुख उद्देश्य अपने उत्पादों का एक बड़ा बाजार खड़ा करना है। इसके पीछे इन कंपनियों की मंशा आम भारतीयों के स्वास्थ्य से जुड़ी न होकर अधिक से अधिक लाभ कमाने की ज्यादा है। आखिर ये प्रोबायोटिक्स उत्पाद क्या हैं, तैयार कैसे होते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के लिए इतने लाभदायक क्यों हैं? इस पर गौर करने की जरूरत है। हर आम और खास भारतीय को पता होना चाहिए कि पुरातन काल से ही दूध से किण्वन करके बने दही का छाछ अथवा मठ्ठा एक बहुत पुराना भारतीय प्रोबायोटिक्स है। मठ्ठा के प्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए इसे सुपर पेय कहना गलत नहीं होगा। छाछ अथवा मठ्ठा के अनेकों स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए इसे देश में राष्ट्रीय पेय का दर्जा देने की जरूरत है। दही एक दुग्ध उत्पाद है जिसका निर्माण दूध के जीवाणु किण्वन द्वारा होता है। लेक्टोज का किण्वन लैक्टिक अम्ल बनाता है, जो दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया करके इसे दही में बदल देता है। इसे इसकी खास बनावट और विशेष खट्टा स्वाद भी प्रदान करता है। जैव रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से 'लैक्टोबेसिलस' बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जिसे हम आम बोल चाल की भाषा में जामन या कल्चर के नाम से संबोधित करते हैं। इसके बाद दही को मथकर मक्खन अलग करके छाछ अथवा मठ्ठा तैयार हो जाता है। यही मठ्ठा एक समृद्ध एवं परिपूर्ण प्रोबायोटिक्स होता है। प्रोबायोटिक्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया आंतों में पहुंचकर लाभदायक एंजाइम का निर्माण करते हैं और नुकसादेय बैक्टीरियाओं से लड़ने में मदद करते हैं। भारत के डेयरी प्रॉडक्ट दही, छाछ, श्रीखंड, लस्सी आदि प्रोबायोटिक फूड ही हैं। जिसमें छाछ अर्थात मठ्ठा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मठ्ठा में पाए जाने वाले बैक्टीरिया स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो नुकसानदेय बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते हैं। प्रोबायोटिक फूड आंतों में नुकसानदेय बैक्टीरिया की वृद्धि रोखकर फायदेयमंद बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं। इससे शरीर स्वस्थ्य रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। पाचन संबंधी समस्याओं से निजात मिलती है। संक्रमणों से बचाव होने के साथ ही इंसान की उम्र में भी वृद्धि होती है। प्राचीन भारत में पुरातन काल से ही आयुर्वेद में छाछ का उल्लेख किया गया है। इसका इस्तेमाल स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य के लिहाज से छाछ पीने के कई फायदे होते हैं। छाछ भोजन पचाने में मदद करता है और पेट को शांत रखता है। इसका स्वाद कुछ खट्टा जरूर होता है, लेकिन इसका यही गुण पाचन को सुधारने का काम करता है। सूजन, जलन, पाचन संबंधी विकार गैस्टोइन्टेस्टाइनल बीमारी, एनीमिया और भूख की कमी के खिलाफ छाछ एक प्राकृतिक उपचार है। छाछ को प्राकृतिक दही से तैयार किया जाता है। जिस छाछ को बिना क्रीम वाले दही से तैयार किया जाता है। वह मधुमेह एवं वजन से परेशान रोगियों के लिए एक सटीक औषधि का काम करता है। पानी के आधे अनुपात के साथ बनी छाछ पीने से ऊर्जा और पाचन में सुधार होता है। बिना फैट वाली छाछ थकान और पेट को ठण्डा करने के काम आती है। छाछ एक संपूर्ण एवं यह पोषण से भरपूर पेय होता है। छाछ में अच्छे संतुलित आहार के लिए सभी आवश्यक तत्व इसमें पाये जाते हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूनतम वसा, विटामिन और आवश्यक एंजाइम होते हैं। छाछ में 90 फीसदी से अधिक पानी होता है। इसलिए इसका सेवन शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। मनुष्य की आंते छाछ को धीरे-धीरे एब्जार्व करती हैं। क्योंकि इसकी सामग्री ज्यादातर प्रोटीन के साथ जुड़ी होती है। छाछ पीना किसी अन्य स्वाद वाले पेय एवं सादे पानी की तुलना में बेहतर है। छाछ के सेवन से मसालेदार एवं तीखे भोजन से पेट में होने वाली जलन से आराम मिलता है। यह भोजन के ज्वलनशील तत्वों को साफ कर देता है, जिससे पेट को आराम मिलता है। खाने के बाद एक गिलास छाछ पीने से मसाले के प्रभाव को बेअसर करने में मदद मिलती है और पेट की जलन शांत होती है। दोपहर के भोजन के बाद छाछ का सेवन काफी लाभदायक माना जाता है। अचानक गर्मी लगने जैसी समस्या से पीड़ित लोग छाछ को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना सकते हैं। गर्मियों के दिन में शरीर को ठंडक और स्फूर्ति देने वाली चीजों का सेवन जरूरी होता है। इस मौसम में छाछ का सेवन सबसे अधिक लाभदायक है। दही मथने के बाद बनने वाली छाछ को न केवल ठंडे पेय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसका नियमित सेवन शरीर से बीमारी को दूर भगाने में मदद करता है। छाछ में विटामिन ए, बी, सी, ई एवं के होता है। इसका सेवन शरीर के पोषक तत्वों की कमी पूरी करता है। जिन लोगों में रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर होती है, उन लोगों के लिए छाछ का सेवन बहुत जरूरी है। इसके स्वास्थ्यवर्धक बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट और लेक्टोज शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। छाछ शरीर के पाचनतंत्र को बेहतर बनाने में बहुत फायदेमंद है। यह अपच की समस्या को खत्म करने में मदद करता है। यह प्रोबायोटिक्स से समृद्ध है जो शरीर में आंत में लाभदायक एंजाइम के विकास को बढ़ावा देता है। भोजन के बाद छाछ का सेवन एसीडिटी से तुरंत राहत प्रदान करने में मदद करता है। छाछ में बायोएक्टिव प्रोटीन होता है जो कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नीचे लाने में मदद करता है। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों से बचाता है और शरीर में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह कैंसर के खतरे को भी कम करता है, क्योंकि यह प्रकृति में एंटीबैक्टीरियल, एंटीकार्सिनोजेनिक है। नियमित रूप से छाछ के सेवन से वजन कम करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि छाछ में कैलोरी एवं फैट की मात्रा कम होती है। एक तरह से यह फैट बर्नर का काम करता है। जिनके शरीर का तापमान और मेटाबोलिक स्तर अधिक होता है, उनके लिए छाछ का सेवन बहुत लाभप्रद रहता है। भरपूर मात्रा में कैल्शियम होने के कारण छाछ हड्डियों को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। इसका नियमित सेवन ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से बचाता है। गर्मी के मौसम में पसीना निकलने से डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन छाछ का सेवन पानी की कमी को पूरा करता है। खाली पेट मट्ठा पीने से पाचन क्रिया तंदुरस्त रहती है। खाना खाने के बाद जो लोग पेट का भारीपन महसूस करते हैं ऐसे लोग खाली पेट मट्ठा पीने से इससे राहत महसूस कर सकते हैं। मट्ठे में अदरक का पावडर मिलाकर खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से पेट का दर्द, ऐंठन की समस्या दूर होकर पाचन तंत्र मजबूत होता है। छाछ से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में आज की युवा पीढ़ी अनभिज्ञ है।

पोषक तत्वों से भरपूर सरसों का तेल

डॉ. रीता मिश्रा एवं डॉ.वायडी मिश्रा
कृषि विज्ञान केंद्र, मुरैना एवं निदेशालय विस्तार सेवाएं, रा.वि.कृ.वि.ग्वालियर

सरसों एक तिलहनी फसल है। भारत में सरसों का उत्पादन प्रमुख रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में होता है। सरसों के बीज भूरे, लाल और पीले रंग के होते है। सरसों का तेल न सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि इसके सेवन से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। सरसों के तेल के कई प्रकार होते हैं। सरसों के बीजों से रिफाइंड तेल मशीनों से निकाला जाता है। इसका स्वाद कड़वा होता है। इस प्रकार के तेल का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। रिफाइंड सरसों का तेल काले, भूरे या सफेद सरसों के बीजों से निकाला जाता है।

ग्रेड-1: यह कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल होता है, जिसे कच्चे ग्रेड 1 सरसों के तेल के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के तेल को कच्ची घानी के नाम से जाना जाता है। यह सरसों के तेल का शुद्ध रूप है। इस प्रकार का सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त लाभदायक माना जाता है।

ग्रेड-2: इस प्रकार के तेल का प्रयोग भोजन बनाने के लिए नहीं, बल्कि थेरेपी के लिए किया जाता है।

सरसों के तेल में उपस्थित पौष्टिक तत्व: सरसों का तेल पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है। सरसों के तेल का औषधीय महत्व भी है।

दरुस्त पाचनतंत्र: सरसों का तेल पाचनतंत्र को ठीक रखता है और भूख बढ़ाने में भी मदद करता है।

जोड़ों का दर्द: सरसों के तेल का प्रयोग जोड़ों के दर्द, गठिया और मांसपेशियों में होने वाले दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नियमित रूप से इस तेल से मालिश करने पर शरीर के रक्त संचार में लाभ मिलता है। इससे जोड़ों व मांसपेशियों की समस्या को दूर रखने में मदद मिलती है।

हृदय रोग में लाभदायक: सरसों का तेल के हृदय को स्वस्थ रखने में भी सहायक है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है, जिससे हृदय रोग के खतरे को कम किया जा सकता है।

दांत संबंधी समस्या: सरसों के तेल का प्रयोग दांत संबंधी समस्याओं में भी लाभदायक है।

अस्थमा: सरसों के तेल में सेलेनियम पाया जाता है। यह श्वसन तंत्र से संबंधित समस्या अस्थमा के प्रभाव को कम करने में सहायक साबित होता है।

एंटी बैक्टीरियल: सरसों का तेल एंटी बैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीइंफ्लेमेटरी गुणों से समृद्ध होता है। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट सूजन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने का काम करते हैं। साथ ही सरसों के तेल में एंटीइंफ्लेमेटरी गुण भी मौजूद होते हैं।

स्वस्थ त्वचा के लिए: सरसों का तेल त्वचा को संक्रमण से दूर रखता है। फटे होंठ व त्वचा पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को धीमा करने में सरसों का तेल सहायक होता है।

बालों के लिए: सरसों के तेल के उपयोग से बालों के विकास में मदद मिलती है। रूसी की समस्या को पनपने से भी रोका जा सकता है।

सरसों के तेल का उपयोग

सरसों के तेल का कई प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। शाकाहारी और मांसाहारी आहार बनाने के लिए। अचार बनाने के लिए। सलाद में डालकर भी उपयोग किया जा सकता है। तड़का लगाने में भी काम आता है।

सरसों के तेल का भंडारण- सरसों के तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। सरसों का तेल आवश्यकतानुसार मात्रा में ही खरीदें। तेल को हमेशा वायुरोधी डिब्बों तथा ठंडे स्थान में रखें।

मिलावट की पहचान - एक कप सरसों के तेल को फ्रीजर में रख दें। अगर सफेद परत के साथ तेल जमा हुआ मिलता है तो तेल में मिलावट की गई है। तेल की कुछ बूंदे अपने हाथ पर डालकर रगड़ें। यदि रंग निकलता है या रसायन की दुर्गंध आती है तो यह मिलावटी है। सरसों का तेल परखनली में डालें। इसमें नाइट्रिक अम्ल की कुछ बूंदें डालें। अच्छे से मिलकार परखनली को गर्म करें। मिश्रण लाल होने पर तेल मिलावटी होता है। एक मिलिलीटर सरसों के तेल में 10 मिलिलीटर एसिडिफाइड पेट्रोलियम ईथर मिलाकर हिलाएं। फिर मॉलिब्डेट डालें। गंदगी दिखाई देने पर तेल मिलावटी होता है।

जलवायु परिवर्तन बांधों को बना रहा अविश्वसनीय-जोखिम भरा

एक नदी, एक शानदार जीवित गलियारा है, जो जंगलों को, मछलियों को, तटवर्ती पारिस्थितिक तंत्र को और खेतों को आहार देती, जीवन-निर्वाह से संबंधी कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों का परिवहन करती है। लोगों को पीने का पानी देती है। सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। एक नदी आश्चर्यजनक रूप से एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करती है। हम नदियों पर बांध बनाकर उनके कई लाभों को नकार देते हैं। नदियों की शक्ति का दोहन करने के लिए एक नवीकरणीय तरीका माने जाने वाले जलविद्युत बांध अब अपने प्रतिकूल प्रभावों के लिए बेहतर जाने जाते हैं। वे एक नदी की जैव विविधता के पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करते हैं। खाद्य सुरक्षा और स्थानीय समुदायों की आजीविका को नष्ट करते हैं, और हानिकारक मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के खतरे को और बढ़ा देता है। अव्वल तो बांध बनाना ही एक महंगा उपक्रम है, जबकि उसका रख-रखाव तो और भी मुश्किल है। इसके साथ ही,ये बांध सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा के प्रामाणिक विकल्पों के प्रति जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी अथवा प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। बांधों के निर्माण के बारे में वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम की रिपोर्ट के 2000 में प्रकाशन होने के बाद तो कई देशों और फाइनेंसरों ने बांधों का प्रस्ताव करना और उनके लिए फंड देने से अपने हाथ खींच लिए हैं। लेकिन उनमें कुछ छीजते उद्योगों को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का उपयोग के बहाने के रूप में कर रहे हैं, और इनको बनाए रखने के लिए दुर्लभ जलवायु डॉलर का उपयोग करने का आह्वान कर रहे हैं। बांध परियोजनाओं को अब तर्क संगत रूप से सबसे खराब स्थान पर बनाई जा रही हैं। वे स्थान हैं जैव विविधता के हॉटस्पॉट और उष्ण कटिबंधीय संरक्षित क्षेत्रों से बहने वाली नदियों पर। यह काम अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के साथ आने वाले दशकों में मौजूदा जल विद्युत क्षमता को दोगुना करने के आह्वान के साथ किया जा रहा है। यहां प्रमुख कारण गिनाए जा सकते हैं कि ये बांध जलवायु संकट के लिए किस प्रकार एक गलत समाधान हैं। बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। सूखे ने दुनिया भर में जल विद्युत उत्पादन को अपंग कर दिया है, जिससे अमेरिका से लेकर चीन और ब्राजील से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक ऊर्जा की राशनिंग करनी पड़ रही है और वे देश ब्लैकआउट हो गए हैं। इस रुझान के वर्तमान में बदलते जलवायु परिदृश्य को देखते हुए और बढ़ने के साथ ही उसे वैश्विक हो जाने की उम्मीद की जा रही है। इस बीच, तेजी से चरम मौसम की आम घटनाएं अनुप्रवाह रहने वाले लोगों के लिए बड़े बांध को खतरनाक बनाती हैं, क्योंकि वे बांध की विफलताओं से असुरक्षित हो जाते हैं। आज 25 फीसदी ग्लोबल वार्मिंग मीथेन उत्सर्जन की वजह होता है, जिसके वातावरण में पहुंचने के पहले 20 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड की वार्मिंग शक्ति से 80 गुनी अधिक है। यह जानकारी पर्यावरण रक्षा कोष (ईडीएफ) से एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। जैसा कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की 2021 की रिपोर्ट से पता चला है।

जनभागीदारी से गांवों के विकास का खाका तैयार

14 अप्रैल के बाद हर गांव में मनेगा गौरव दिवस

पहली बार मध्यप्रदेश में 53 हजार गांवों का तैयार हो रहा गजेटियर

भोपाल। संवाददाता

मप्र के गांवों और शहरों के विकास से लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने उनके स्थापना दिवस पर गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश के 53 हजार गांवों का गजेटियर तैयार किया जा रहा है। अपने खूबसूरत इतिहास परंपराओं के कारण प्रत्येक गांव की एक विशिष्ट पहचान होती है। अपनी संस्कृति, धरोहर, और विशिष्टताओं के प्रति गौरव की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रत्येक गांव में ग्राम गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। खास बात ये है कि पहली बार किसी गांव का गजेटियर भी तैयार होगा। सरकार ने पुराने अभिलेखों, तहसील के रिकार्ड, गजेटियर या बीसीएनवी के माध्यम से ग्राम पंचायत का गजेटियर विकसित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के माध्यम से सभी गांवों और ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित की जा चुकी हैं। 14 अप्रैल के बाद हर गांव का गौरव के दिवस कार्यक्रम शुरू होगा। यह कार्यक्रम सालभर चलेंगे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एमपी सीडीआर-2022 के विमोचन अवसर पर आयोजन को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिया। मुख्यमंत्री की मंशानुसार गांवों का गौरव दिवस मनाया जाएगा। दरअसल, मुख्यमंत्री की मंशा है कि हर गांव की अपनी पहचान हो और गौरव दिवस के माध्यम से जनता विकास में सहभागी बने। इसके लिए पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित कर सरपंच, सचिव, पंच और अन्य समाजसेवी, गांव के बुजुर्ग व जनप्रतिनिधियों की आपसी सहमति से गांव का गौरव दिवस मनाने एक दिन तय किया गया है।

सर्वसम्मति से तय गौरव दिवस का दिन

प्रत्येक प्रचायत स्तर पर होने वाली ग्राम सभाएं तय कर रही हैं कि किस दिन उनके गांव का गौरव दिवस मनाया जाएगा। ग्राम सभा सर्वसम्मति से गांव का कोई एतिहासिक दिन, गांव के किसी महापुरुष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा ख्याति प्राप्त किसी महिला पुरुष के जन्मदिन की तारीख को भी चुन रही है। इसके अलावा किसी गांव में परंपरानुसार कोई खास दिवस मनाया जाता हो तो वह दिन भी ग्राम गौरव दिवस के रूप में मनाया जा सकता है।

पंचायत विभाग ने दिए निर्देश

14 अप्रैल तक गजेटियर बनाकर शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ये पहली बार होगा कि किसी गांव का अपना गजेटियर होगा, जबकि अब तक जिले का ही अपना गजेटियर रहता है जिसमें जिले की एक एक छोटी से छोटी जानकारी होती है। लेकिन अब प्रदेशभर के गांवों का गजेटियर तैयार करने के निर्देश मप्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय ने दिए हैं।

चरणबद्ध हो रहीं ग्राम सभाएं

चरणबद्ध तरह से ग्राम सभाएं हो रही है। जहां 14 अप्रैल तक गौरव दिवस तय करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम सभाओं में गांव से बाहर रहने वाले सफल, अनुकरणीय व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा। सभा के शुरु होने से पहल गांव के बुजुर्गों का सम्मान किया जाएगा। आगामी वर्षों में गांव के विकास का प्लान तैयार करना होगा। भविष्य के लक्ष्य तय किए जाएंगे। सभी कार्यों का दस्तावेजीकरण तैयार कर पंचायत के दर्पण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।

गांव के लोग ही करेंगे विकास

गौरव दिवस के पीछे सरकार को मकसद है कि गांव के लोग ही गांव का विकास करें। जैसे कि कोई व्यक्ति स्वच्छता अभियान चलाने के जिम्मेदारी लेगा तो कोई गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लेगा। गांव के ही लोग आंगनबाड़ी, स्कूल और योजनाओं के संचालन में भागीदारी निभाएंगे। इससे सरकार का बजट बचेगा तथा विकास में गति आएगी। हर गांव का गौरव दिवस कार्यक्रम जोरदार होगा। इसमें उन लोगों को प्रमुख तौर पर आमंत्रित किया जाएगा जो बड़े शहरों अथवा विदेश में रह रहे हैं। इसके पीछे मंशा है कि गांव का महत्व पूरे प्रदेश में जाना जा सके। प्लान के अनुसार गांव के प्रमुख लोगों से आर्थिक मदद भी ली जाएगी। इस राशि को गांव के विकास में खर्च की जाएगी।

पोर्टल पर दर्ज होगा गौरव दिवस

पंचायत विभाग ने पंचायत दर्पण पोर्टल तैयार किया है। इसमें 14 अप्रैल के बाद हर गांव का गौरव दिवस तिथि दर्ज कर दी जाएगी। जिससे देश-विदेश में बैठे गांव के लोग अपनी सुविधा अनुसार आयोजन में शामिल हो सकेंगे।

हर गांव का अपना गौरव दिवस मानने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। सभी गांव और ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाएं आयोजित की जा चुकी हैं। गौरव दिवस कार्यक्रम से समाज की भागीदारी बढ़ेगी। विकास में गति मिलेगी। गौरव दिवस आयोजन पूरे साल होंगे। इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

आलोक कुमार सिंह, संचालक,
पंचायत राज संचालनालय

1962 पर कॉल फ्री, इलाज कराया तो देना पड़ेगी 150 फीस

सरकार की 'पशुधन संजीवनी' पशुपालकों को पड़ रही महंगी

श्योपुर। संवाददाता

बीमार और घायल मवेशियों को बचाने के उद्देश्य मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पशुधन संजीवनी हेल्पलाइन 1962 पर पशुपालक कॉल करने के बजाए अपने घायल और बीमार मवेशियों का इलाज खुद कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के बाद संबंधित को मवेशी के इलाज के लिए रुपए भी खर्चने पड़ते हैं। इसके लिए 150 रुपए फीस भी अदा करनी पड़ेगी। इलाज के लिए दवाइयां अलग से खरीदनी पड़ेगी। कुल मिलाकर सरकार की पशुधन को बचाने की यह योजना फिलहाल प्रदेश में दिखावा ही साबित हो रही है। नागरिकों को घायल होने पर उपलब्ध कराई जा रही 108 एंबुलेंस सेवा की तर्ज पर अब मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में बीमार और घायल मवेशियों के इलाज के लिए पशुधन संजीवनी हेल्पलाइन नंबर 1962 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करने पर पशु चिकित्सा विभाग 5 से 72 घंटे के भीतर संबंधित के घर पहुंचकर बीमार मवेशी का इलाज कर देता है। इलाज के बदले पशु चिकित्सा विभाग संबंधित पशुपालक से इलाज की फीस भी वसूल करता है। यही एक कारण है जिसकी वजह से मध्यप्रदेश सरकार की पशु चिकित्सा सेवा कि यह अभिनव पहल परवान नहीं चढ़ पा रही है।

जुगाड़ से योजना चला रही सरकार

तीन साल पहले शुरू हुई 1962 योजना में पहले हर ब्लॉक पर एक गाड़ी पशु चिकित्सा विभाग को उपलब्ध कराई गई थी। दो साल तक तो यह गाड़ियां कॉल करने के बाद संबंधित के घर पहुंचकर इलाज करने के काम में मदद करती रहीं, लेकिन एक से डेढ़ साल पहले अचानक इन गाड़ियों को बंद कर दिया गया। अब कॉल आने पर डॉक्टरों को ही संबंधित के घर अपने साधन से पहुंचकर इलाज करने को बोला जा रहा है। बिना गाड़ी के जुगाड़ से संचालित होने की वजह से भी यह पहल सफल नहीं हो पा रही है।

सरकार ने वर्ष 2021-22 में रिकार्ड 45.82 लाख मीट्रिक धान का किया उर्पाजन

किसानों से समर्थन पर खरीदी धान की मिलिंग चुनौती

भोपाल। संवाददाता

मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2021-22 में किसानों से रिकॉर्ड 45 लाख 82 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी गई। केंद्र सरकार ने मिलिंग के लिए अवधि सिंतबर 2022 तय कर दी है। इसमें मिलिंग तभी संभव है, जब मिलर पूरी क्षमता के साथ मिलिंग करें। इसके लिए सरकार ने तय किया है कि मिल संचालकों को प्रति क्विंटल अधिकतम 150 रुपए अतिरिक्त राशि दी जाएगी। इससे सरकार के ऊपर 525 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। कैबिनेट ने भी खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रोत्साहन राशि देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में मिलर को प्रति क्विंटल धान की मिलिंग करके 67 किलोग्राम चावल देना होगा। इसके लिए उसे 50 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि मिलती है, लेकिन मिल संचालक इसके लिए तैयार नहीं हैं। वे चावल की मात्रा प्रति क्विंटल 50 से 55 किलोग्राम निर्धारित करने की मांग पिछले साल से कर रहे हैं, लेकिन इसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है और वह तैयार नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2020-21 में प्रति क्विंटल धान की मिलिंग पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का प्रविधान किया था। इसके बेहतर परिणाम आए और फरवरी 2022 तक रिकॉर्ड 28 लाख दो हजार मीट्रिक टन धान की मिलिंग हुई। इस बार पिछले साल की तुलना में आठ लाख 56 हजार मीट्रिक टन अधिक धान का उपार्जन किया गया है।

प्रदेश में 30 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग कराई जाएगी। इससे जो चावल बनेगा, उसमें से दस लाख मीट्रिक टन केंद्र सरकार को सेंट्रल पूल में दिया जाएगा और इतना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किया जाएगा।

फैज अहमद किदवई,
प्रमुख सचिव, खाद्य,
नागरिक आपूर्ति विभाग

किसानों ने गेहूं बेचने पंजीयन कराया, पर खसरे से नहीं मिल रहे नाम

दो लाख किसानों की उपज पर मंडराता खसरे का खतरा

मप्र में 19 लाख 81 हजार किसानों ने उपज बेचने के लिए पंजीयन कराया

छतरपुर जिले में सर्वाधिक 34 हजार 873 मामले उजागर

भोपाल। संवाददाता

प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन प्रारंभ हो गया है। इस बार 19 लाख 81 हजार किसानों ने उपज बेचने के लिए पंजीयन कराया है। इसमें से दो लाख 16 हजार किसानों के खसरे ऐसे हैं, जिनमें दर्ज नाम का पंजीयन के साथ मिलान नहीं हो रहा है। सरकार ने इस बार खरीदी में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रत्येक किसान का सत्यापन करने का निर्णय लिया है। जब तक खसरे और पंजीयन में दर्ज नाम का मिलान नहीं हो जाता है, तब तक संबंधित किसान से उपज नहीं ली जाएगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग अब इन खसरों की तहसीलदारों से जांच करा रहा है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक दीपक सक्सेना ने बताया कि 36 लाख 92 हजार 962 खसरों की जांच की गई है। इसमें दो लाख 16 में भूमि स्वामी का जो नाम है, उसका मिलान पंजीयनकर्ता से नहीं हो रहा है। खसरे आधार से लिंक है।

यह हो सकते हैं कारण

- भूमि स्वामी ने संबंधित खसरे की भूमि सिकमी (किराए) पर दी हो और उसी किसान ने पंजीयन कराया हो। इससे नाम में अंतर आ आएगा।
- भूमि स्वामी की मृत्यु होने पर वारिसों ने खसरे में नाम परिवर्तन नहीं कराया हो और पंजीयन अपने नाम से कराया हो।
- मंदिर या ट्रस्ट की भूमि पर बटाई पर लेकर खेती करने वाले ने पंजीयन कराया हो।
- उपार्जन केंद्र स्तर पर कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके पंजीयन कराया गया हो।

जब तक पंजीयन और खसरे में दर्ज नाम का मिलान नहीं हो जाता है, तब तक संबंधित किसान से उपार्जन भी नहीं हो सकेगा। सभी तहसीलदारों से सत्यापन करने के लिए कहा है। साथ ही समितियों को यह अधिकार भी दिए गए हैं यदि किसान किसी वजह से खसरे में नाम परिवर्तन नहीं करा पाया हो तो वो संबंधित दस्तावेज ले जाकर सुधार करवा सकते हैं।

दीपक सक्सेना, संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग

जिला	खसरा संख्या	निवाड़ी	7,307	शिवपुरी	5,501	शाजापुर	3,686	मुरैना	1,942
छतरपुर	34,873	सीहोर	6,754	सिवनी	5,047	छिंदवाड़ा	3,266	धार	1,736
रीवा	15,895	राजगढ़	6,720	सिंगरौली	4,505	भिंड	3,134	सीधी	1,752
सतना	12,980	पन्ना	6,097	अशोकनगर	4,348	रायसेन	2,810	खंडवा	1,612
जबलपुर	12,182	दतिया	5,784	उज्जैन	4,081	भोपाल	2,247	मंदसौर	1,554
ग्वालियर	10,009	इंदौर	5,738	सागर	3,996	देवास	2,007	श्योपुर	1,301
नर्मदापुरम	9,559	टीकमगढ़	5,573	कटनी	3,805	उमरिया	1,979	रतलाम	1,301

सरकार के प्लान से अब गांव होंगे मालामाल

शिवराज सरकार अपनाएगी छत्तीसगढ़ गोबरधन मॉडल

भोपाल। संवाददाता

मध्य प्रदेश के गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शिवराज सरकार छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाएगी। सरकार गोबर-धन प्रोजेक्ट चलाएगी, जिसके तहत कई शहरों में गोबर की खरीदी की जाएगी। ये फैसला पचमढ़ी में मध्य प्रदेश सरकार की चिंतन बैठक में लिया गया। सरकार ही गाय के गोबर को खरीदने की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब लोगों को गाय के गोबर और गौ-मूत्र से आय होने लगेगी, तो वे गौ-पालन के लिए प्रेरित होंगे।

प्रदेश की गौ-शालाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश की जाएगी। सीएम ने बताया कि इंदौर में गोबर-धन योजना के तहत स्थापित पीएनजी प्लांट का प्रयोग सफल हुआ। इसलिए अब इसे दूसरे शहरों में भी शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। इन सभी के अलावा गाय के गोबर से बड़े पैमाने पर गौकाष्ठ बनाया जाता है। इसलिए इस कार्य को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे गौपालकों को आमदनी होने के साथ-साथ वर्मी कंपोस्ट खाद भी बन सकेगी। इस तरह ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

दूसरे राज्यों में होगा अध्ययन

मध्य प्रदेश में इस काम को शुरू करने से पहले उन राज्यों की स्टडी की जाएगी, जहां गौ-संरक्षण और गौ-संवर्धन का प्रयोग हो रहा है। इन राज्यों में गुजरात भी शामिल है। इसके अलावा सरकार आवारा पशुओं को लेकर भी चिंतित दिखाई दे रही है। उनकी देखभाल के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्री समूह बनाया गया है। इस समूह में मोहन यादव, ऊषा ठाकुर, प्रेम सिंह पटेल, प्रद्युम्न सिंह तोमर और विश्वास सारंग शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ सबसे पहला राज्य

गौरतलब है कि गोबर खरीदना सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया था। सरकार ने 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पशु पालने वालों से सही दाम पर गोबर खरीदा जाता है। उस गोबर का गोठान में वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। सरकार अभी तक हजारों किसानों से करोड़ों रुपए का गोबर खरीद चुकी है। इसका फायदा भी देखाई देने लगा है।

गायों के आहार में पैसे की कमी नहीं बनेगी बाधा

शिवपुरी। जिला गौपालन एवं पशु संवर्धन समिति की बैठक का आयोजन गत दिनों कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में पदेन सचिव उपसंचालक पशुपालन विभाग सहित अन्य समिति सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिले में संचालित गौशालाओं को चारा-भूसा तथा सुदाना पशु आहार के लिए राशि वितरण पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि मप्र गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के द्वारा समय-समय पर गौशालाओं में गोवंश के भरण-पोषण के लिए

जिला गौपालन एवं पशु संवर्धन समिति की बैठक

20 रुपए प्रति गौवंश प्रतिदिन के मान से राशि राज्य के सभी जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति को उपलब्ध कराया जाता है जिसे जिले की गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक में चर्चा कर गौशालाओं में गौवंश संख्या के आधार पर वितरण किया जाता है। इसी तारतम्य में जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक में जिले की 34 क्रियाशील पंजीकृत गौशालाओं में उपलब्ध कुल गोवंश संख्या 3097 के लिए 20 रुपए प्रति गौवंश प्रतिदिन के मान से दो माह की अवधि के लिए कुल राशि 37 लाख 16 हजार 400 रुपए के वितरण का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। इस राशि को गौशालाओं के खातों में जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति के खाते से सीधा स्थानांतरित किया गया है।

डॉ. यूआर बडेगांवकर, प्रमुख टीटीडी ने प्रतिभागियों का धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया

कृषि मशीनीकरण-चुनौतियां और परिप्रेक्ष्य पर देशभर के वैज्ञानिकों ने किया मंथन

भोपाल। संवाददाता

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्था द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर कृषि मशीनीकरण पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार की अध्यक्षता डॉ. एसएन झा, उप. महानिदेशक (कृषि अभियांत्रिकी), आईसीएआर, नई दिल्ली और सह-अध्यक्षता डॉ. कंचन के सिंह, सहायक महानिदेशक (फार्म अभियांत्रिकी), आईसीएआर, नई दिल्ली ने की। प्रो. वीके तिवारी, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और टीआर केसवन, समूह अध्यक्ष टैफे लिमिटेड, चेन्नई मुख्य वक्ता थे। वेबिनार में आईसीएआर-सीआईएई, भोपाल, आईसीएआर-सीफेट, लुधियाना, एनआर एफएम टीटीआई, हिसार, आईसीआरपी और सीआरपी के विभिन्न केंद्रों के वैज्ञानिक और अन्य आईसीएआर संस्थानों के वैज्ञानिक, देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों के प्रख्यात वैज्ञानिक, निर्माता ने भाग लिया।

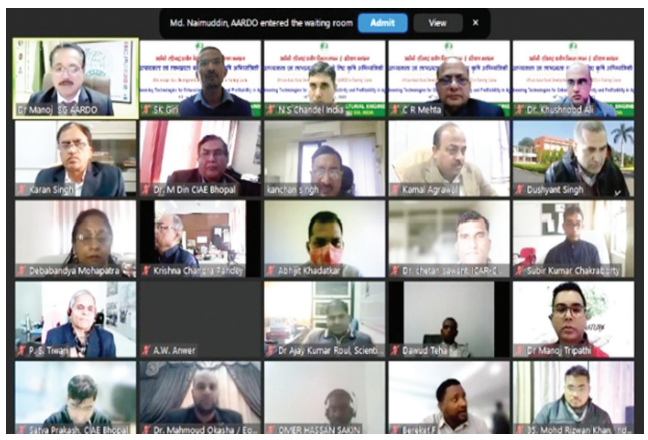

230 लोगों ने किया मंथन

कार्यक्रम में कुल 230 लोगों ने भाग लिया। डॉ. केएन अग्रवाल, पीसी, ईएसए ने अध्यक्ष और अतिथियों का स्वागत किया। डॉ. सीआर मेहता, निदेशक, भाकृअनुप-सीआईएई, भोपाल ने मशीनीकरण और उद्देश्यों की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। डॉ. कंचन के सिंह, सहायक महानिदेशक, भाकृअनुप, नई दिल्ली ने भी देश के मशीनीकरण के प्रति भविष्य के दृष्टिकोण पर अपने विचार साझा किए।

चुनौतियों से कराया अवगत

कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ. एसएन झा ने अपनी व्याख्यान में भारतीय कृषि में स्वचालन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यंत्रीकृत कृषि के लिए और अधिक समाधान उन्मुख अनुसंधान करने की आवश्यकता पर बल दिया। डॉ. वीके तिवारी, निदेशक, आईआईटी, खड़गपुर और कार्यक्रम मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर भारत में स्मार्ट फार्म मशीनीकरण की चुनौतियों और अवसरों पर व्याख्यान दिया। उन्होंने देश में स्मार्ट फार्म मशीनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसानों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, निर्माताओं और सरकार जैसे विभिन्न हितधारकों के सामने चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

मशीनरी उद्योग में हो बदलाव

टीआर केसवन, ग्रुप प्रेसिडेंट (सीआर), टैफे लिमिटेड, चेन्नई और गेस्ट ऑफ ऑनर ने ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी उद्योग-स्थिति और आगे की राह पर बात की। उन्होंने भारतीय किसानों और निर्यात की आवश्यकता के साथ तालमेल रखने के लिए कृषि ट्रैक्टर और मशीनरी उद्योग के दृष्टिकोण में पूर्ण परिवर्तन का आह्वान किया। डॉ. यूआर बडेगांवकर, प्रमुख टीटीडी ने सभी प्रतिभागियों ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

मुंह मांगे दामों पर हार्वेस्टर से गेहूं कटाई को मजबूर अन्नदाता

फसल कटाई को नहीं मिल रहे मजदूर, बालियों से निकलकर बिखरने लगा किसान का पसीना

खेमराज मौर्य। शिवपुरी/श्योपुर

इन दिनों चंबल अंचल के शिवपुरी और श्योपुर में खेतों में गेहूं की फसल पककर तैयार खड़ी है। किसानों को फसल कटाई के लिए इस बार मजदूर तलाशे नहीं मिल रहे हैं। मजबूरी में किसानों को फसल कटाई हार्वेस्टर के माध्यम से करानी पड़ रही है। हार्वेस्टर संचालक किसानों की इस परेशानी का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। पूरी तरह सूखने के बाद अब बालियों से गेहूं झड़कर जमीन में गिरने लगे हैं। इस नुकसान से बचने के लिए किसान हार्वेस्टर संचालकों को फसल कटाई के मुंह मांगे दाम दे रहे हैं।

श्योपुर में इस बार गेहूं का रकबा 77 हेक्टेयर है। हमेशा फसल कटाई का 60-70 फीसद हिस्सा चेतुए (मजदूर) से कराया जाता रहा है। बाकी 30-40 फीसद फसल कटाई हार्वेस्टर के माध्यम से कराई जाती रही है। इस बार मामला उलट हो गया है। किसानों को फसल कटाई के लिए मजदूर तलाशें नहीं मिल रहे हैं। 90 फीसद गेहूं की फसल की कटाई हार्वेस्टर पर निर्भर है। जिस हार्वेस्टर संचालक ने विगत वर्ष गेहूं कटाई के 700 रुपए प्रति बीघा किसानों से वसूले थे। वहीं हार्वेस्टर संचालक अब किसानों से 1000 रुपए प्रति बीघा फसल कटाई के रुपए वसूल रहे हैं। यह तो वह रेट हो गई जो आम है। कुछ जरूरतमंद किसान तो मुंह मांगे दामों पर भी फसल कटाने को मजबूर हैं। इस बार फसल कटाई को मजदूर नहीं मिलने का मुख्य कारण विगत दिनों आई बाढ़ को माना जा रहा है। अमूमन क्षेत्र में सूखे की वजह से खेती-बाड़ी नहीं हो पाती है। आदिवासी दूसरे विकासखंड और जिले के बाहर फसल कटाई को मजदूरी पर जाते हैं। इस बार अधिक बारिश की वजह से जो जमीनें पड़त पड़ी रहती थी, वह अब भरपूर फसल उपजा रही है। आदिवासी अपनी खुद की जमीन पर फसल कर आत्मनिर्भर हो गए। उधर, परेशानी उन किसानों की बढ़ गई जो फसल कटाई के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे।

शिवपुरी में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए बनाए गए 70 केंद्र

गेहूं से प्यारा भूसा-चारा

हमेशा किसान फसल कटाई के बाद गेहूं को खेत से समेटकर खलिहान और घर लाने की जुगत में रहता था। इस दौरान चारा (भूसा) खेत में ही छोड़ा जाता था। इस बार भूसे के दाम आसमान में होने की वजह से किसान फसल को तो खेत में ही छोड़ रहा है, लेकिन भूसे को या तो बोरों में बंद कर रख रहा है या फिर खेतों से उठाकर खलिहान तक पहुंचा रहा है। ज्ञातव्य हो कि बाढ़ की वजह से जिले में अधिकतर चारा पानी में बह गया, जिससे 3 हजार रुपए ट्रॉली के हिसाब से बिकने वाले भूसा 13 से 15 हजार प्रति ट्रॉली तक बिका है।

शिवपुरी में शासन द्वारा रबी विपणन वर्ष 2022-23 में गेहूं उपार्जन के लिए किसानों को एसएमएस नहीं भेजा जाएगा। उसके स्थान पर किसान स्वयं अपनी तहसील के अंदर स्लॉट बुकिंग कर उपार्जन करा सकेंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शिवपुरी जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 70 उपार्जन केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। सभी केंद्रों पर स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। किसान उपार्जन की बिक्री के लिए बेबसाइट पर स्लॉट बुक कर सकेंगे। किसानों को अपनी उपज विक्रय करने के लिए स्लॉट बुकिंग दो पारी में सुबह 09 से 01 बजे तक, दो 02 से 08 बजे तक की जा सकेगी। जिसमें से एक पारी का चयन किया जा सकेगा। इस लिंक की जानकारी एसएमएस के माध्यम से भी कृषक के पंजीकृत मोबाइल पर प्रेषित की जाएगी। स्लॉट बुकिंग कराते समय कृषक के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा।

दो दिन होगा उपार्जन: ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत, सत्यापित कृषक द्वारा स्वयं के मोबाइल नंबर, एमपी ऑनलाइन, सीएससी, ग्राम पंचायत, लोक सेवा केन्द्र, इंटरनेट कैफे एवं उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। उपार्जन का कार्य सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा। उपज विक्रय के लिए इसी अवधि की स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। कृषक द्वारा उपज विक्रय के लिए सात दिन फसल विक्रय के लिए स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। स्लॉट की वैधता 07 कार्य दिवस होगी। कृषक द्वारा उपज विक्रय तहसील अंतर्गत किसी उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकेगा। कृषक की भूमि एक से अधिक तहसील में स्थित होने पर उनके द्वारा किसी एक तहसील के उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकेगा, जहां पर पंजीकृत भूमि की उपज का विक्रय किया जा सकेगा।

क्षमता घटते क्रम में प्रदर्शित होगी: उपार्जन केन्द्र की तौल क्षमतानुसार लघु, सीमांत एवं बडे कृषकों को मिलाकर स्लॉट बुकिंग की सुविधा रहेगी। जिसमें 100 क्विंटल से अधिक विक्रय क्षमता के 4 कृषक तक हो सकेंगे। स्लॉट बुकिंग के समय पोर्टल पर कृषक की विक्रय योग्य कुल मात्रा प्रदर्शित कराई जाएगी। जिसमें कृषक द्वारा वास्तविक विक्रय एवं विक्रय योग्य कुल अनुमानित मात्रा की प्रविष्टि करनी होगी। इस मात्रानुसार ही कृषक से उपज की खरीदी की जा सकेगी। इस संबंध में कृषकों को अवगत कराया जाएगा।

फ्लैगशिप योजनाः ई-एनएएम के छह साल, किसानों को बनाया अधिकार संपन्न

मित्रों! एक राष्ट्र-एक बाजार की अवधारणा की शुरुआत 'ई-नाम'

भोपाल/नई दिल्ली। संवाददाता

ई-नाम केवल एक योजना नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है, जिसका उद्देश्य सभी किसानों को लाभ पहुंचाना और उनके कृषि उत्पाद बेचने के तरीके को बदलना है। ई-नाम से देश के किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी और पारिश्रमिक कीमत मिलती है जिससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। साथ ही इससे गुणवत्ता के अनुसार कीमत और कृषि उपज के लिए एक राष्ट्र-एक बाजार की अवधारणा भी विकसित हो रही है। तेलंगाना में निजामाबाद जिले के एक गांव में रहने वाले 45 वर्षीय मुक्कु विद्यासागर के पास 7 एकड़ जमीन है और उनके पास कृषि और कृषि व्यापार में 20 वर्षों का अनुभव है। वह धान, मक्का और सोयाबीन की फसलों की खेती करते हैं। मुक्कु अब ई-नाम पोर्टल से जुड़ गए हैं।

सीधे खरीद-बिक्री से उन्हें काफी लाभ मिला और उन्हें 24 घंटे के भीतर उपज का भुगतान मिल गया। विद्यासागर खुशी के साथ कहते हैं, फसल बेचने के दिन ही पैसा मिल जाता है, इसका अनुभव कभी नहीं था। सके लिए वह ई-नाम और जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं। उसी तरह, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का दुग्गीराला गांव, मई 2017 में ई-नाम प्लेटफॉर्म में जुड़ गया। प्रोग्राम के दूसरे चरण में ई-नाम में शामिल होने वाली आंध्र प्रदेश की 10 मंडियों में से यह एक थी। यहां पर सभी कार्य अब ई-नाम की प्रक्रिया के अनुसार किए जाते हैं और यहां ऑनलाइन बोली प्रतिदिन सुबह 9.30 से 11.00 बजे के बीच लगाई जाती है। ई-नाम में शामिल होने के कारण यह मंडी काफी बदल गई है और इससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। आज अगर देश में किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है और उन्हें अपनी उपज बेचने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है तो यह संभव हो पा रहा है ई-नाम के कारण, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को 21 मंडियों के साथ की थी।

किसानों को उपज का उचित मूल्य मिले और उसकी लागत कम हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। ई-नाम प्लेटफॉर्म से देश भर की सैंकड़ों मंडियों को जोड़ने का काम चल रहा है। इससे किसानों को सीधे देश भर की किसी भी मंडी में ऑनलाइन अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलेगा। इससे कोई बिचौलिया कीमतों को प्रभावित नहीं कर पाएगा।
- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

बिचौलियों के कतरे पर

इस ई-नाम का उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से बचाना और उन्हें सीधे खरीद-बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि, वे अधिक से अधिक लाभ कमा सके। साथ ही उन्हें अपने फसल की बिक्री के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े और खरीदने वाले देश के किसी भी हिस्से से घर बैठे खरीदारी कर सके। ई-नाम यानि राष्ट्रीय कृषि बाजार एक ऑनलाइन मार्केटिंग पोर्टल है, जो देश में विभिन्न कृषि उपजों को बेचने के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है।

ई-नाम से जुड़े 21 राज्य

ई-नाम पोर्टल का मुख्य लक्ष्य सम्पूर्ण भारत में सभी कृषि उत्पाद विपणन समितियों (एपीएमसी) को एक सिंगल नेटवर्क से जोड़ना और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि उत्पादकों के लिए एक बाजार उपलब्ध करना है, जिससे व्यापार के लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। किसानों को गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य मिल सके और कृषि उपज के लिए एक राष्ट्र, एक बाजार (वन नेशन वन मार्केट) की अवधारणा विकसित हो सके। आज देश के 21 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की 1,000 मंडी ई-नाम से जुड़ गई है। ई-नाम प्रोजेक्ट किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाने वाला और किसानों के घर में समृद्धि लाने वाला है। इसलिए भारत सरकार पूरी दृढ़ता के साथ इस पर काम कर रही है।

ई-नाम से किसानों को मिलने वाले लाभ

किसान और खरीदार के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता है। किसानों के साथ साथ ग्राहकों को भी इसका पूरा लाभ मिलता है। किसानों को उत्पाद की बेहतर कीमत मिलती है। बाजार में आने वाले किसानों के समय की बचत होती है। किसान अपने व्यापार की प्रगति को पोर्टल पर देख सकते हैं। कीमत की वास्तविक बोली की प्रगति किसानों को उनके फोन के एप पर दिखाई देती है। किसानों को प्रत्येक मंडी की समय पर पूरी जानकारी मिल जाती है। उपज की सही बिक्री के लिए सुविधा मिलती है।

कहीं भी उपज बेचने का मिला अधिकार

पंजीकरण: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2016 को 21 मंडियों के साथ ई- नाम की शुरुआत की थी। किसान ई-नाम पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

ऑनलाइन बिक्री: किसान, ई-नाम मंडियों में ऑनलाइन बिक्री के लिए अपनी उपज अपलोड कर सकते हैं और व्यापारी भी किसी भी स्थान से ई-नाम के अंतगर्ज्ञत खरीद के लिए बोली लगा सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक तराजू: वजन तौलने में पारदर्शिता लाने के लिए वस्तुओं को सही ढंग से तौलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू दिए गए हैं। व्यापारियों द्वारा भुगतान अब भीम भुगतान सुविधा का उपयोग कर किया जा सकता है।

चार साल में 12 फीसदी बढ़ी फूलों की खेती

राजधानी के रातीबड़ के आमला गांव में की जा रही गुलाब के फूलों की खेती

भोपाल के गुलाब की खुशबू से महक रहा देश

दिल्ली, मुंबई, आगरा, लखनऊ समेत उत्तर भारत में हो रही फूल की सप्लाई

भोपाल। संवाददाता

फूलों की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। ऐसे में भोपाल में फूलों की खेती में भी खासा इजाफा हो रहा है। कई पॉली हाउस बंद होने के बाद भी पिछले चार साल में ही फूलों की खेती में 12 फीसदी की बढ़ोतरी हो चुकी है। दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, लखनऊ, मुंबई, पुणे समेत देश के कई प्रमुख शहरों के बाजारों में सीहोर के शरबती गेहूं की तरह ही भोपाल के फूलों की काफी डिमांड है। भोपाल में फूल उत्पादक किसानों के खेत एवं पॉलीहाउस के फूल लखनऊ, दिल्ली, आगरा समेत उत्तर भारत के कई शहरों में सप्लाई होते हैं।

इन गावों में फूलों की खेती

भोपाल के बरखेड़ा बोंदर, बरखेड़ी बाजयाफ्त, आमला, इस्लामनगर, सरवर पंचायत का झागरिया खुर्द, सीहोर एवं रायसेन जिले से सटे कई गांवों में गुलाब के फूलों की खेती की जा रही है। खास बात यह है कि भोपाल के इन किस्मों के फूलों की देश में ज्यादा डिमांड है। जिसमें गुलाब, जरबेरा, ट्यूब रोज, मेरी गोल्ड, ग्लैडुलस, गेंदा किस्म शामिल है।

मिलती है 16.44 लाख सब्सिडी

पॉली हाउस लगाकर एक एकड़ में जरबेरा, आर्किड, कार्नेशन एवं गुलाब के फूलों की खेती करने वाले किसानों को 16.44 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार की योजना के तहत हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देता है। इसमें कुल लागत 32.88 लाख रुपए आती है।

भोपाल जिले के कई गावों में जलवायु, मिट्टी एवं वातावरण फूलों की खेती के लिए अनुकूल है। कई बड़े किसान अलग-अलग तरह के फूलों की खेती को लेकर समर्पित हैं। इसीलिए यहां फूलों का अच्छा उत्पादन हो रहा है।
-सुबोध सहस्त्रबुद्धे, हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट

भोपाल में फूलों की खेती करने के लिए किसानों का रुझान भी बढ़ रहा है। पिछले 4 साल में फूलों की खेती में 12 फीसदी इजाफा हुआ। इसी सीजन में दिल्ली, मुंबई में हुई शादियों में भोपाल से 50 क्विंटल फूल सप्लाई किए गए।
-बीएस कुशवाह, असिस्टेंट डायरेक्टर, हॉर्टिकल्चर

बाजार में 1500 रुपए क्विंटल संग्रहणकर्ताओं को मिल रही कीमत

ठेकेदार 45 सौ से 5000 रुपए क्विंटल दे रहे

महुआ संग्रहण का लक्ष्य पाना मुश्किल

भोपाल। संवाददाता

सरकार के फरमान पर वन विभाग द्वारा पिछले 10 दिनों से महुआ संग्रहण किया जा रहा है, लेकिन महुआ के किसानों के पीछे हटने से लग नहीं रहा है कि विभाग इस वर्ष लक्ष्य पूरा कर पाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वन विभाग द्वारा महुआ जिस रेट में खरीदा जा रहा है, उससे 1500 रुपए क्विंटल ज्यादा कीमत बाजार में मिल रही है, इसलिए किसान सीधे वही महुआ बेच रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी भी मानने लगे हैं कि सरकार द्वारा महुआ की कीमत 35 सौ रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है, जबकि ठेकेदार 45 सौ से 5000 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं, इसलिए किसान पीछे हट रहे हैं।

15 दिन चलेगा संग्रहण का कार्य

सरकार द्वारा इस वर्ष इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिले में 5 हजार क्विंटल महुआ संग्रहण का लक्ष्य दिया गया है। पिछले कई दिनों से संग्रहण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें चारों जिलों में अभी तक मात्र लगभग 30 हजार क्विंटल ही महुआ संग्रहण किया जा सका है। संग्रहण का कार्य भी 15 दिन और चलेगा। किसानों के पीछे हटने से लग नहीं रहा है कि विभाग लक्ष्य पूरा कर पाएगा।

ठेकेदार अपने हिसाब से बेचेंगे महुआ

वन विभाग से नीलामी में महुआ खरीदने के बाद ठेकेदार अपने हिसाब से शराब कंपनियों को बेचेगा। बताया जा रहा है कि महुआ के कारोबार में लगे कुछ बड़े ठेकेदारों ने शराब कंपनियों ने पहले ही बता दिया है कि हमें इस बार ज्यादा महुआ चाहिए। हालांकि अभी वन विभाग द्वारा ठेकेदार फाइनल नहीं किया गया है। कई ठेकेदार नीलामी में शामिल होने के लिए अभी से प्रयास करने लगे हैं। हालांकि प्रशासन भी सक्रिय हो गया है।

दो साल से चुप थे अधिकारी

इंदौर सहित चारों जिलों में वर्ष 2000 में 3 हजार क्विंटल महुआ संग्रहण का लक्ष्य दिया गया था। काफी प्रयास के बाद वन विभाग को सफलता मिल पाई थी। पिछले 2 साल से सरकार ने इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया था, इसलिए वन विभाग के अधिकारी चुप थे।

इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर जिले में गांव के किसानों को महुआ संग्रहण के लिए तैयार किया गया था। स्थानीय अधिकारियों द्वारा जिन गांवों में महुआ के ज्यादा पेड़ हैं, वहां के किसानों से बातचीत भी की गई थी, लेकिन सरकारी रेट कम होने से लग नहीं रहा है कि किसान वन विभाग को महुआ बेचेंगे।
एचएस मोहंता, सीसीएफ, वन विभाग, मप्र

महू और मानपुर में पिछले 8 दिनों में लगभग 4 क्विंटल महुआ संग्रहण किया गया है। बाजार में ज्यादा रेट मिलने के कारण सरकारी रेट पर गिने-चुने किसान ही महुआ बेच रहे हैं। हालांकि विभाग द्वारा लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसानों के पीछे हटने से फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता।
कैलाश जोशी, एसडीओ, महू

प्रदेश के ज्यादा महुआ वाले क्षेत्र

प्रदेश के सबसे ज्यादा महुआ के पेड़ वाले जिले रीवा, उमरिया, होशंगाबाद, टीकमगढ़ और सिंगरौली सहित चार अन्य जिलों में वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है। सरकार ने इन जिलों के अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा महुआ संग्रहण करने के आदेश दिए हैं। स्थानीय अधिकारियों द्वारा किसानों से बातचीत कर महुआ संग्रहण करने के लिए जोर दिया जा रहा है।

सांसद संध्या ने कहा-जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की शाखा खुलने से बढ़ेगी किसानों की आय

संसद में गूंजी भिंड के अन्नदाताओं की पीड़ा

भिंड। भिंड-दतिया सांसद संध्या राय ने संसद में भिंड के किसानों की चिंता जाहिर की। उन्होंने उन्होंने देश का ध्यान भिंड के किसानों की ओर आकर्षित कराया और कहा कि भिंड जिले की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाने की जरूरत है। सांसद ने सदन में बताया कि भिंड कृषि की दृष्टि से समृद्धशाली जिला है। जिले के किसान मेहनती हैं, परंतु क्षेत्रफल बड़ा है। एक हिस्से के किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से वंचित रह रहे हैं, इसलिए अतिरिक्त केंद्र खोले जाने की जरूरत है। सांसद संध्या ने यह भी कहा कि देश के कृषि मंत्री चंबल संभाग से हैं। वे भिंड जिले की भौगोलिक स्थिति से भलीभांति परिचित हैं। भिंड का एक सिरे से दूसरे सिर की दूरी काफी है। भिंड में अभी एक कृषि विज्ञान केंद्र है। चूंकि जिला कृषि प्रधान है। यहां के लोगों की आय का मुख्य स्रोत कृषि है। ऐसे में पूरे जिले के किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र का लाभ नहीं मिल पा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की हमेशा चिंता करते है उनकी आय बढ़ाने की बात करते हैं।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, राम नरेश वर्मा-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
बैतूल, सतीष साहू-8982777449
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)